अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल ।

पत्रांक 2294 /13– देवलीधार दिनांक 16-12-2015.

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०विभाग
काठगोदाम ।

विषयः– जनपद नैनीताला में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत बरेली अल्मोडा मोटर मार्ग से सिरसा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9212 है०वन भूमि का भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन ।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून का पत्रॉक 1672/ FP/ UK /Road/14233/2015 दिनॉक 4–12–2015 । शासन की पत्र सं० 1154/X –4–15 / 1(598)/2015 दिनॉक 7–11–2015.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । विषयगत प्रकरण में वन एंव पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में शर्त न0 1– के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस पास/मार्ग के दोनो ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एंव 10वर्षो के रख रखाव हेतु धनराशि रूपये 5,£3,679.00 (रू0 पॉच लाख तिरेसठ हजार छः सौ उन्नासी) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है ।

2– शर्त न0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रूपया 6,05,228.00(रू0 छः लाख पॉच हजार दो सौ अठाईस)मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

3–अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के बिन्दु न0 3 में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा ऑन लाईन अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान ऑन लाईन अपलोट किया जायेगा । उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि FC amendment Rules 2015 के बिन्दु–8, उपबिन्दु–क एंव ख में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तो के अनुसार एन0पी0वी0,क्षतिपूरक वृक्षारोपण,आस–पास/मोटर मार्गके दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण आदि की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित करेंगे, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा ऑन लाईन अपलोट करेंगे, जिसका नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑन लाईन सत्यापन किया जायेगा । तत्पश्चात् प्रयोक्ता एजेन्सी ऑन लाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि के भुगतान की कार्यवाही करेंगें ।

4–शासन के शर्त न0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का बजनबद्वता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करायी जायेगी ।

5–शर्त 4 एंव 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदों में देय धनराशि को **RTGS** के माध्यम से पृथक–2 बैक ड्राफ्ट **Companstory Afforestation Fund Uttaranchal SB A/C 037100101025229** कारपोरेशन बैक लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें । **RTGS** हेतु कारपोरेशन बैक का **IFSC Code- CORP 0000371 MICR Code - 110017007** एंव **Branch Code - 000371** है । कारपोरेशन बैक की लोधी रोड शाखा में जमा कराई गई धनराशि की पुष्टि हेतु कारपोरेशन बैक द्वारा जारी पुष्टि पत्र मय **UTR** न0 व दिनॉक सहित अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध करने का कष्ट करें ।

सहायक अभियन्ता प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

6– शासन के शर्त न0 6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एंव भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कढ़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना हैं ।

7– शासन के शर्त न0 7 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना है ।

8– शासन के शर्त न0 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोष जनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार , पर्यावरण एंव वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।

9– शासन के शर्त न09 के अनुपालन में अवगत कराना है कि कि उपरोक्त शर्तो के अनुपालन होने के पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून द्वारा शासन को लिखा जायेगा ।

10– बिन्दु न0 10 में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि मलुवा निस्तारण वन भूमि में प्रस्तावित नही है यदि है तो विवरण प्रस्तुत करें ।

अतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तो की बिन्दु वार अनुपालन आख्या चार–2 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि वॉछित सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादूनको उपलब्ध कराई जा सके ।

भवदीया,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रॉक / उक्तदिनॉकित ।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक,एंव नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊ वृत उत्तराखण्ड नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

पत्रॉक / उक्तदिनॉकित ।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल को मय शासनादेश्श II की प्रति के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी उत्तारी गौला को मय शासनादेश I की प्रति के साथ सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।